-: अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ का संविधान :-

1. नाम एवं प्रभावशीलता :- इसका नाम "अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ" होगा । अखिल राजस्थान कर्मचारी संयुक्त महासंघ का यह लिखित संविधान 30 मई, 1987 से प्रभावशील होगा ।

2. कार्यालय :-महासंघ का प्रधान कार्यालय, राजस्थान की राजधानी में होगा ।

3. कार्य क्षेत्र :- महासंघ का कार्य क्षेत्र संपूर्ण राजस्थान राज्य के अलावा राज्य के अलावा राज्य के बाहर कार्यरत प्रदेश के कर्मचारियों पर भी होगा ।

4. उद्देश्य तथा प्रयोजन :-

(क) कर्मचारियों के सामाजिक न्याय की उपलब्धि हेतु उनके विभिन्न संघों में समन्वय स्थापित करना तथा उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक सूत्र में बांधना ।

(ख) राजस्थान के कर्मचारियों के हितों का संरक्षण व संवर्धन करना ।

(ग) राज्य कार्य/संगठन कार्य में दक्षता लाने हेतु गोष्ठियां, सभाएं, सम्मेलनों आदि का आयोजन करना तथा पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित करना ।

(घ) समान हितों के लिए राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर संगठनों से सम्पर्क रखना व सहयोग करना ।

5. परिभाषा :

(1) "महासंघ" का अर्थ अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ से है ।

(2) "जिला शाखा", "विभागीय समन्वय समिति" एवं "तहसील शाखा" का अर्थ महासंघ की शाखाओं से है ।

(3) "सदस्य का अर्थ महासंघ से सम्बद्ध संगठन से है ।

(4) "महा समिति" का अर्थ महासंघ से सम्बद्ध संघों के तीन सदस्यों-अध्यक्ष, महामंत्री तथा तृतीय मनोनीत सदस्यों से गठित तथा महासमिति कहलायेगी ।

(5) "कार्यकारिणी" का अर्थ महासंघ एवं उसकी शाखाओं की कार्यकारिणी से है ।

(6) "कर्मचारी" का अर्थ राजस्थान के कर्मचारी से है जो ,देश में अथवा प्रदेश से बाहर कार्यरत हो ।

6. सदस्यता :- राजस्थान के कर्मचारियों का कोई भी संघ निर्धारित प्रपत्र एवं सम्बद्धता शुल्क जमा कराकर संबद्धता हेतु आवेदन कर सकेगा । संबद्धता प्रदान करने का अधिकार महासंघ की कार्यकारिणी को होगा ।

7. शुल्क :

(1) प्रवेश शुल्क-प्रत्येक नये संगठन का 50/- (पचास रुपये) प्रवेश शुल्क देना होगा ।

(2) वार्षिक सम्बद्धता शुल्क :

(क) प्रत्येक सदस्य संगठन को वार्षिक सम्बद्धता शुल्क के रूप में प्रति वर्ष 200/- (दो सौ रुपये) देने होंगे ।

(ख) जिला शाखा को संघों की जिला इकाइयां रुपये 50/- प्रतिवर्ष देंगी ।

(ग) तहसील शाखा कर्मचारियों से 2/- प्रति सदस्य के हिसाब से महासंघ की रसीद देकर वार्षिक शुल्क लेगी । इनमें से एक रुपया तहसील कोष में रखकर 50 पैसे जिला शाखा में तथा 50 पैसे महासंघ के प्रदेश कार्यालय में जमा कराना होगा ।

क्रमशः----2.

[घ] प्रत्येक विभागीय सामान्य समिति में विभाग/संस्थान/कार्यालय के कर्मचारी से 2 रुपये प्रति सदस्य महासंघ की रसीद देकर वार्षिक शुल्क लेगी। प्रति सदस्य 1 रुपया अपने कोष में, 50 पै. जिला महासंघ एवं 50 पैसे प्रदेश कार्यालय में जमा कराना होगा।

[ङ] कोई विशेष कार्य-क्रम/अधिवेशन आदि के लिए धन राशि की आवश्यकता होने पर प्रदेश कार्य कारिणी की अनुमति से धन संग्रह किया जा सकेगा।

[च] सम्बद्ध संगठन को वार्षिक शुल्क प्रति वर्ष 31 मार्च तक जमा कराना होगा। निर्धारित अवधि में शुल्क जमा न होने पर उक्त संगठन को 50 रुपये वार्षिक शुल्क के अतिरिक्त 30 अप्रैल तक जमा कराने होंगे। 30 अप्रैल के बाद सम्बद्ध संगठन की सदस्यता नोटिस देने के पश्चात समाप्त की जा सकेगी।

8. सम्बन्धित संगठनों की स्वायत्तता एवं दायित्व :

[क] महासंघ की सम्बद्धता संगठनों की स्वायत्तता में बाधक नहीं होगी।

[ख] महासंघ से सम्बद्ध संगठनों का निम्नलिखित दायित्व होगा।

[1] महासंघ के सिद्धान्तों एवं निर्णयों से अपने सदस्यों को अवगत कराना तथा महासंघ की गतिविधियों के बारे में अपनी कार्यकारिणी को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

[2] महासंघ की कार्यकारिणी के निर्णयों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करना एवं पालनार्थ की गई कार्यवाही तथा उपलब्धियों का प्रतिवेदन महासंघ को प्रस्तुत करना।

[3] अपने संगठन व सदस्यों की समस्याओं एवं अन्य गतिविधियों की जानकारी महासंघ को देना। महत्वपूर्ण पत्रों की प्रतिलिपि देना। राज्य सरकार को दिये गये ज्ञापन मांग-पत्र तथा संगठन द्वारा प्रकाशित पत्र पत्रिकायें भेजना।

[4] महासमिति के लिए तीन सदस्यों के नाम भेजना।

9. नियंत्रण :-महासंघ का निर्देशन व नियन्त्रण महासमिति करेगी जो महासंघ की सर्वोच्च सत्ता होगी।

10. महासमिति का गठन :

[1] महासंघ से सम्बद्ध प्रत्येक संगठन के अध्यक्ष एवं महामन्त्री महासमिति के अनिवार्य रूप से सदस्य होंगे। सम्बद्ध संगठन एक तृतीय सदस्य मनोनीत करके महासमिति में भेज सकेगा। इस प्रकार प्रत्येक सदस्य संगठन के तीन सदस्यों से मिलकर महासमिति का गठन होगा।

[2] महासमिति की बैठकों में सदस्य संगठन के अनिवार्य सदस्य [अध्यक्ष एवं महामंत्री] भाग लेने हेतु किसी भी सदस्य को अधिकृत करके भेज सकेंगे। उन्हें विचार व्यक्त करने तथा मत देने का अधिकार होगा परन्तु संगठनों द्वारा मनोनीत सदस्यों को अपनी अनुपस्थिति में किसी भी सदस्य को अधिकृत करने का अधिकार नहीं होगा।

क्रमशः ——3.

(3) महासंघ की जिला शाखा में महासंघ से सम्बद्ध संगठनों की जिला शाखाओं के अध्यक्ष व मन्त्री अधिकारिक रूप से तथा जिला शाखा द्वारा मनोनीत एक तृतीय सदस्य, जिला महासमिति के सदस्य होंगे। जिलास्तरीय समन्वय समिति एवं तहसीलों से निर्वाचित अध्यक्ष जिला महासमिति के पदेन सदस्य होंगे। पदेन सदस्यों को मताधिकार नहीं होगा। धारा 10(2) के प्राविधान जिला महासमिति में भी लागू होंगे।

11. कार्यकाल :

(1) महासंघ की महासमिति का कार्यकाल दो वर्ष होगा।
(2) जिला महासमिति का कार्यकाल एक वर्ष होगा।
(3) महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल दो वर्ष होगा किन्हीं परिस्थितियों में प्रदेश अध्यक्ष के मूल संगठन द्वारा उसका नाम वापिस लिए जाने की स्थिति में भी महासंघ के वे प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। परन्तु नाम वापस लेने की तिथि से तीन माह की अवधि में नये अध्यक्ष का निर्वाचन कराना आवश्यक होगा।

12. महासमिति के कार्य :

(1) महासमिति के सदस्य अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे।
(2) महासंघ की नीति निर्धारण करने का दायित्व महासमिति को होगा।
(3) आय के स्रोत एवं व्यय की स्वीकृति देना।
(4) कार्यकारिणी का कार्य निश्चित करना तथा पूरे वर्ष के कार्यों की समीक्षा करना।
(5) जिला महासमिति के लिए धारा 12 के उपनियम (1) के अनुसार जिला अध्यक्ष का निर्वाचन करना।
(6) आवश्यकतानुसार संविधान में संशोधन करना।

13. उत्तरदायित्व :

(1) अध्यक्ष महासमिति के प्रति उत्तरदायी होगा।
(2) कार्यकारिणी अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होगी।

14. कार्यकारिणी :

(1) निर्वाचित अध्यक्ष महासमिति सदस्यों में से निम्न कार्यकारिणी का गठन करने हेतु अधिकृत होगा।

1. वरिष्ठ उपाध्यक्ष	1
2. उपाध्यक्ष	6
3. महामंत्री	1
4. संयुक्त महामंत्री	2
5. मन्त्री	2
6. संयुक्त मन्त्री	3
7. वित्त मन्त्री	1
8. सहायक वित्त मन्त्री	1
9. संगठन मन्त्री	1
10. प्रचार मन्त्री	1
11. विधि मन्त्री	1
12. खेल व सांस्कृतिक मन्त्री	1
13. क्षेत्रीय मन्त्री	6
14. सदस्य	प्रत्येक सदस्य संगठन का अध्यक्ष जिनको उपरोक्त में से कोई पद नहीं मिला है।

क्रमशः ----4

(2) जिला शाखा का अध्यक्ष निम्नलिखित कार्यकारिणी मनोनीत कर सकेगा :-

(1) वरिष्ठ उपाध्यक्ष	1
(2) उपाध्यक्ष	2
(3) मन्त्री	1
(4) संयुक्त मन्त्री	2
(5) वित्त मन्त्री	1
(6) संगठन मन्त्री	1
(7) प्रचार मन्त्री	1
(8) विधि मन्त्री	1
(9) खेल व सांस्कृतिक मन्त्री	1
(10) कार्यालय मन्त्री	1
(11) सदस्य	संघों के जिला अध्यक्ष जिनको उपरोक्त पदों में से कोई पद नहीं मिला हो।

(3) तहसील शाखा का अध्यक्ष निम्नलिखित कार्यकारिणी मनोनीत कर सकेगा ।

1. उपाध्यक्ष	1
2. मन्त्री	1
3. संयुक्त मन्त्री	1
4. वित्त मन्त्री	1
5. संगठन मन्त्री	1
6. प्रचार मन्त्री	1
7. खेल व सांस्कृतिक मन्त्री	1
8. सदस्य	9

(4) विभागीय समन्वय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित कार्यकारिणी मनोनीत कर सकेगा :-

1. उपाध्यक्ष	1
2. मन्त्री	1
3. संयुक्त मन्त्री	1
4. वित्त मन्त्री	1
5. संगठन मन्त्री	1
6. प्रचार मंत्री	1
7. खेल व सांस्कृतिक मन्त्री	1
8. सदस्य	9

15. वर्ष :- महासंघ का वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसम्बर तक होगा ।

16. बैठकें :

(क) कार्यकारिणी बैठक चार माह में एक बार एवं महासमिति की बैठक एक वर्ष में एक बार बुलाना आवश्यक होगी ।

(ख) महासमिति के 1/3 सदस्यों लिखित मांग पर अध्यक्ष को एक माह की अवधि में बैठक आयोजित करनी होगी बैठक के लिए 15 दिन का नोटिस आवश्यक होगा ।

(ग) सदस्यों की मांग पर अध्यक्ष द्वारा निर्धारित अवधि में नहीं बुलाये जाने की स्थिति में महामन्त्री द्वारा महासमिति के मन्त्री की हैसियत से बुलाई गई बैठक वैधानिक होगी ।

क्रमशः -----5.

(घ) धारा 16 के उपनियम (क) से (ग) के प्रावधान जिला, तहसील व विभागीय समन्वय समिति की कार्यकारिणी एवं जिला महासमिति पर लागू होंगे ।

17. गणपूर्ति :

(क) प्रदेश महासमिति, जिला महासमिति एवं प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी, विभागीय समन्वय समिति, कार्यकारिणी तथा तहसील कार्यकारिणी की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/3 होना आवश्यक होगी । गणपूर्ति के अभाव में स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी ।

(ख) अविश्वास प्रस्ताव एवं संविधान संशोधन के लिए महासमिति के सदस्यों की कुल संख्या का 3/4 भाग से अधिक एवं निर्णय के लिए उपस्थिति का 2/3 भाग से अधिक का होना आवश्यक होगा ।

18. निधि एवं लेखा परीक्षण :

(1) महासंघ की निधि किसी अनुसूचित बैंक में रहेगी । बैंक से लेन-देन वित्त मंत्री एवं अध्यक्ष या महामंत्री में से एक के संयुक्त हस्ताक्षरों से संचालित होगी । जिला शाखा, तहसील शाखा में भी यही प्रक्रिया लागू होगी ।

(2) 500 रुपये (पांच सौ रुपये) तक की राशि एक समय में अध्यक्ष द्वारा खर्च की जा सकेगी, इससे अधिक होने पर कार्यकारिणी की अनुमति लेनी ~~का~~ आवश्यक होगी ।

(3) कार्यकारिणी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आय-व्यय की जाँच के लिए एक लेखा परीक्षक अथवा बोर्ड की नियुक्ति करेगी ।

19. कार्यकारिणी के अधिकार एवं कर्तव्य :

(1) कार्यकारिणी महासंघ के सम्पूर्ण गतिविधियों के संचालन, कार्यकलाप एवं उसकी सम्पत्ति के नियन्त्रण के लिए सक्षम एवं पूर्णरूपेण उत्तरदायी होगी ।

(2) कर्मचारियों के संगठनों को महासंघ की सदस्यता से पृथक करना ।

(3) कार्य संचालन हेतु नियम व उपनियम बनाना विशेष कार्यों हेतु समितियों उप समितियों का गठन करना ।

(4) सम्बद्ध संगठनो का मार्ग दर्शन करना तथा नीति सम्बन्धी निर्देश पालनार्थ देना ।

(5) किसी भी ऐसे विषय का जिसका इस संविधान में समावेश नहीं हुआ है, तत्काल निर्णय लेने के अधिकार कार्यकारिणी को होंगे, परन्तु उन निर्णयों को महासमिति की आगामी प्रथम बैठक में अनुमोदन कराना आवश्यक होगा ।

20. अनुशासन :- संघ के संविधान में निहित उद्देश्यों के विपरित कार्य करने संगठन विरोधी, अनुशासनहीनता एवं महासंघ के उद्देश्यों के विपरीत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्यवाही करना, वित्तीय अनियमितता के आधार पर प्रदेश कार्यकारिणी को किसी भी सदस्य अ अथवा पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अधिकार होगा । जिसमें सम्बन्धित सदस्य/पदाधिकारी का निलम्बन एवं निष्कासन भी सम्मिलित है । अति गम्भीर एवं तात्कालीन मामलों में अध्यक्ष को उपरोक्त वर्णित कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त होगा । उक्त कार्यवाही करने से पूर्व सदस्य को बचाव का युक्ति अवसर प्रदान किया जावेगा । अध्यक्ष द्वारा की गई कार्यवाही की पुष्टि आगामी प्रथम

क्रमशः ——6·

कार्यकारिणी की बैठक में करानी होगी । अन्यथा अनुशासन की कार्यवाही स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी । कार्यकारिणी के निर्णय के विरुद्ध सम्बन्धित पदाधिकार को अपनी अपील महासमिति में एक माह की अवधि में प्रस्तुत की जा सकेगी । महासमिति का निर्णय अन्तिम होगा ।

21. विघटन :- सम्बद्ध संगठनों के 3/4 से अधिक सदस्यों के लिखित में विघटन की मांग करने पर, विघटन के विषय में निर्णय करने हेतु महासमिति की विशेष बैठक आयोजित की जा सकेगी । इस विशेष बैठक में सम्पूर्ण सदस्य संगठनों की 3/4 से अधिक की उपस्थिति अनिवार्य होगी । निर्धारित संख्या के अभाव में बैठक स्थगित होगी ।

विघटन का निर्णय निर्धारित उपस्थिति का 3/4 से अधिक के विघटन के पक्ष में मत होने पर ही महासंघ का विघटन हो सकेगा । विघटन का निर्णय होने पर महासंघ की महासमिति में से 7 सदस्यों की विघटन समिति बनाई जावेगी । जो महासंघ की सम्पूर्ण चल/अचल सम्पत्ति अधिकोष राशि आदि के उचित बंटवारे का निर्णय लेगी । जिसका निर्णय अन्तिम होगा ।

सम्बद्धता एवं चुनाव नियम, 1992

1. यह नियम संविधान की धारा 19(3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के आधार पर बनाये गये हैं, जो सम्बद्धता एवं चुनाव नियम 1992 कहलावेंगे तथा दिनांक 1-5-1992 से प्रभावी होंगे । इन नियमों के प्रारम्भ पश्चात् पूर्व में चुनाव सम्बन्धी प्रसारित परिपत्र, आदेश अथवा निर्देश स्वतः ही निरस्त माने जावेंगे ।

2. यह नियम 1992 समस्त विभागीय सम्बद्ध समितियां, उपशाखाओं जिला शाखाओं एवं प्रान्तीय स्तर पर समान रूप से लागू होंगे, जहाँ कहीं भी इन नियमों के विपरीत चुनाव सम्पन्न कराये जावेंगे, उनको जिला व प्रान्तीय अध्यक्ष द्वारा निरस्त कर दिये जावेंगे ।

3. चुनाव सम्बन्धी कोई विवाद प्रत्याशी अथवा मतदाता द्वारा प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में अथवा नियम विरुद्ध कार्यवाही किये जाने पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो प्रान्तीय अध्यक्ष द्वारा दिया गया निर्णय सबको स्वीकार्य होगा । प्रान्तीय अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्णय के विरुद्ध अपील कार्य समिति में की जा सकती है, एवं उस पर कार्य समिति द्वारा किये गये निर्णय के विरुद्ध अपील प्रदेश महासमिति में की जा सकती है महासमिति द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम होगा । जिसको किसी भी स्तर के न्यायालय में चुनौती नहीं दी जावेगी । फिर भी कोई न्यायालय की शरण में जाता है तो सदस्य, संगठन अथवा प्रत्याशी को चार वर्ष तक सदस्यता से निलम्बित एवं चुनाव लड़ने से वंचित किया जा सकता है ।

   प्रान्तीय अध्यक्ष के मामले में प्रान्तीय महासमिति ही निर्णय करने में सक्षम होगी ।

4. महासंघ के संविधान में प्रदत्त धाराओं पर इन चुनाव नियमों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा एवं महासंघ से सम्बन्धित संगठनों के संविधान की धारायें तथा चुनाव नियम महासंघ चुनाव नियम 1992 को प्रभावित नहीं कर सकेंगे ।

क्रमशः------7.

5. निर्वाचन, निर्धारित अवधि में कराना नितान्त आवश्यक होगा । प्रान्तीय अध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष विशेष परिस्थितियों में विभागीय समन्वय समिति में, उपशाखाओं, शाखाओं एवं जिला शाखाओं की समयावधि अधिकतम रूप से केवल तीन माह तक के लिये बढ़ा सकेंगे, तत्पश्चात तदर्थ नियुक्त कर दिया जावेगा प्रान्तीय अध्यक्ष के निर्वाचन के लिये महासंघ की कार्य समिति निर्णय लेगी ।

6. निर्वाचन एवं सह निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति विभागीय समन्वय समिति, उप शाखा, शाखा एवं जिला अध्यक्ष स्वयं अपने अपने स्तर पर करेंगे । इसकी विधिवत सूचना मतदान तिथि से 15 दिन पूर्व सार्वजनिक रूप से देना आवश्यक है । विशेष परिस्थितियों में प्रान्तीय अध्यक्ष किसी भी स्तर के निर्वाचन के लिये निर्वाचन अधिकारी मनोनीत कर सकेंगे ।

7. निर्वाचन तिथि से पाँच दिन पूर्व प्रान्त अथवा जिला की हिस्सा राशि जमा कराके मतदाता सूची का अनुमोदन प्रान्तीय महामंत्री अथवा जिला मंत्री से करवाना आवश्यक होगा । अस्थायी मतदाता सूची का प्रकाशन मतदान से एक सप्ताह पूर्व परिशिष्ट "ड" के अनुसार निर्वाचन कार्यालय सूचना पट्ट पर की जावेगी । मतदाता सूची की एक प्रति प्रान्तीय कार्यालय को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।

8. मतदाता सूची के अनुमोदन पश्चात शर्तों परिवर्तन, परिवर्धन करने अथवा संविधान एवं चुनाव नियमों का स्पष्टीकरण अर्थ, भावार्थ एवं निर्णय करने का अधिकार निर्वाचन अधिकारी को नहीं होकर प्रान्तीय अध्यक्ष को ही होगा अथवा उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति को होगा, ताकि निर्वाचन प्रक्रिया का क्रमानुसार समय पर सम्पन्न कराई जा सके ।

9. अन्तिम मतदाता सूची पर शाखा अध्यक्ष/प्रान्तीय महामंत्री/एवं निर्वाचन अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर होना आवश्यक है । परिशिष्ट"ख" के अनुरूप प्रकाशित होगा ।

10. विभागीय समन्वय समिति, उप शाखा, शाखा एवं जिला शाखा तथा प्रान्तीय अध्यक्ष पद के लिये खड़े होने वाले प्रत्याशी को मनोनयन पत्र परिशिष्ट"ग" के अनुरूप भरकर निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा । मनोनयन पत्र एवं मतदाता सूची का शुल्क क्रमशः 5/- एवं 10/- होंगे । यह राशि चुनाव कोष में जमा होगी । प्रत्याशियों को प्रतिभूति राशि रु. 51/- जमा कराना आवश्यक होगा। यह प्रतिभूति राशि यदि प्रत्याशी को कुल वैध मतदान का 20 प्रतिशत मत प्राप्त है तो लौटा दी जावेगी, अन्यथा जब्त कर ली जावेगी । जब्त की गई राशि चुनाव कोष में जमा होगी ।

11. अध्यक्ष पद निर्वाचन हेतु यदि आवश्यक हुआ तो गुप्त मतदान प्रणाली से निर्वाचन सम्पन्न कराया जावेगा । प्रत्याशियों के बराबर बराबर मत आने पर लाटरी द्वारा निर्णय किया जावेगा ।

12. निर्वाचन सम्बन्धी अपील निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 15 दिन के अन्दर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा समयावधि पश्चात प्रस्तुत अपील स्वीकार्य नहीं होगी ।

क्रमशः -------8.

:: सम्बद्धता सम्बन्धी नियम ::

13. जिला एवं प्रदेश महासंघ की महासमिति में सम्बन्धित सभी घटक संगठनों के जिला अध्यक्ष, जिला मंत्री एवं प्रान्तीय अध्यक्ष, प्रान्तीय महामंत्री पदेन सदस्य होगें । तृतीय सदस्य सम्बन्धित संगठन द्वारा मनोनीत करके भेजेगा । सम्बन्धित संगठन के उपरोक्त तीनों ही सदस्य उसी संवर्ग के सदस्य होगें जिनका वह संगठन प्रतिनिधित्व करता है । तथा विधिवत रूप से उसी सेवा का कार्यरत कर्मचारी होना चाहिये । संवर्ग का बाहरी व्यक्ति चाहे उस सदस्य संगठन का वह सर्वोच्च पदाधिकारी भी क्यों न हो स्वीकार्य नहीं होगा । इस सम्बन्ध में सदस्य संघ के संविधान नियमों में कोई प्रावधान बाहरी व्यक्ति का है तो वह महासंघ के मामले में लागू नहीं होगा तथा महासंघ उसे स्वीकार करने हेतु बाध्य भी नहीं होगा । अगर सम्बन्धित संघ के सर्वोच्च पदाधिकारी भी बाहरी संवर्ग से है तब उस स्थिति में सम्बन्धित सदस्य संगठन उनके स्थान पर अन्य किसी भी पदाधिकारी को भेज सकता है । जो उसी संवर्ग का हो तथा सम्बन्धित संघ का विधिवत निर्वाचित सदस्य हो । कर्मचारी सेवारत भी होना आवश्यक है ।

14. प्रदेश स्तर के संगठन जिनकी जिलाओं में कोई भी जिला शाखा एवं शाखा नहीं है, मात्र प्रदेश स्तर निर्वाचन में ही भाग ले सकेगें । इस प्रकार के संगठन जिला स्तर के किसी भी निर्वाचन में भाग लेने को अधिकृत नहीं होगें ।

जिला स्तर के निर्वाचनों में भाग लेने के लिये प्रदेश स्तरीय संगठनों की जिला स्थित जिला शाखायें ही भाग लेने को अधिकृत होंगी । जो घटक प्रदेश स्तरीय नहीं है तथा उनका कार्यक्षेत्र जिला तक ही सीमित है, वह जिला स्तरीय चुनावों में भाग लेगें । जिला स्तरीय सहयोगी संगठन जिनकी एक या एक से अधिक जिला शाखायें है वह सम्बन्धित जिलों पर निर्वाचन में भाग लेगें, प्रदेश स्तर पर वह भाग नहीं लेंगी । इसमें सम्बन्धित संगठन को अपना विकल्प देना होगा ।

15. महासंघ से सम्बद्धता देने का कार्य प्रदेश कार्यकारिणी ही करेगी । प्रदेश कार्यकारिणी एक सात सदस्यीय स्थायी समिति बना देगी जो समय समय पर प्राप्त सभी सम्बद्धता सम्बन्धी आवेदनों पर अपना निर्णय देगी । ऐसे सभी निर्णय प्रदेश कार्यकारिणी कार्यकारिणी की आगामी बैठक में अनुमोदनार्थ रखे जावेगें । स्थायी समिति में प्रदेश अध्यक्ष/प्रदेश महामंत्री आवश्यक रूप से पदेन सदस्य होगें ।

16. जिला स्तरीय संगठनों/सहयोगी संगठनों को भी सम्बद्धता उपरोक्त नियमों में वर्णित तरीके से ही दी जावेगी । जिला शाखा को किसी भी तरह तथा किसी भी प्रकार का सम्बद्धता देने का अधिकार नहीं होगा ।

17. प्रदेश स्तर पर सम्बद्धता देने के लिये कम से कम निम्न शर्तायें आवश्यक होगी :-

(क) ऐसे संगठनों की क्रियाशील सदस्य संख्या 5.0 से कम नहीं होनी चाहिये । उसकी कम से कम 5 जिला शाखायें होनी चाहिये ।

(ख) संघ का नियमित संविधान हो तथा विधिवत निर्वाचित प्रदेश कार्यकारिणी होनी चाहिये । यदि किसी संघ के संविधान में अध्यक्षीय प्रणाली है तो अध्यक्ष भी निर्वाचन प्रक्रियाओं से निर्वाचित होना आवश्यक है । विशेष परिस्थितियों में तदर्थ व्यवस्था अल्प समय के लिये ही स्वीकार्य होगी । संघ को किसी राजनैतिक दल या ट्रेड यूनियन से सम्बद्धता नहीं होनी चाहिये । इस सम्बन्ध में आवेदन कर्ता को शपथ पत्र/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

क्रमशः -------

18. जिला स्तर पर तथा सहयोगी संगठनों को जिला स्तरीय मान्यता देने के लिये निम्न न्यूनतम अहर्तायें निर्धारित की जाती है :-

(क) ऐसा जिला स्तरीय/सहयोगी संगठन कम से कम 50 सदस्यों का जिले पर प्रतिनिधित्व करता है ।

(ख) उसकी विधिवत जिला कार्यकारिणी हो तथा विधान होना चाहिये ।

(ग) ऐसे सहयोगी/जिला स्तरीय संगठन का सम्बन्ध किसी राजनैतिक दल या ट्रेड यूनियन से नहीं होना चाहिये । इस सम्बन्ध में आवेदन कर्ता को शपथ-पत्र /प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

19. इन नियमों के प्रभावशाली होने से पूर्व सभी कार्यवाही/निर्वाचन/मान्यता, इन नियमों के अधीन की जानी मानी जावेगी । अब तक की कार्यवाही पर कोई विचार नहीं किया जावेगा । इन नियमों की प्रभावशीलता दिनांक 1.5.92 से मानी जावेगी ।

20. इन नियमों में परिवर्तन /परिवर्धन/संशोधन का अधिकार महासंघ की प्रदेश कार्यकारिणी में सुरक्षित है । जो कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती है ।

S/-

(उदयसिंह राठौड़)
अध्यक्ष

(रामकिशोर अग्रवाल)
महामन्त्री

परिशिष्ट - "क"

अस्थायी मतदाता सूची

अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ विभागीय समन्वय समिति/उपशाखा/शाखा/जिला शाखा/प्रदेश महासंघ/ ....

अस्थायी मतदाता सूची वर्ष : ....

प्रकाशन तिथि : ....

क्रम संख्या	नाम सदस्य एवं पद	विभाग अथवा संगठन का नाम	रसीद सं0	राशि

हस्ताक्षर अधिकृत पदाधिकारी

परिशिष्ट - "ख"

अन्तिम मतदाता सूची

अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ विभागीय समन्वय समिति/उपशाखा/शाखा/जिला शाखा/प्रदेश महासंघ/..................

अन्तिम मतदाता सूची वर्ष : ....

प्रकाशन तिथि : ....

क्रम संख्या	नाम एवं सदस्य पद	विभाग अथवा संगठन का नाम	रसीद संख्या

हस्ताक्षर महामंत्री
प्रान्तीय कार्यालय

हस्ताक्षर शाखा अध्यक्ष

हस्ताक्षर निर्वाचन अधिकारी

अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ

परिशिष्ट-"ग"

:: मनोनयन-पत्र ::

क्रमांक : ---

मनोनयन पत्र शुल्क 5/- रू. जरिये रसीद नं0 ---------दिनांक.--------------
प्राप्त किया ।

हस्ताक्षर कोषाध्यक्ष
प्रदेश महासंघ/शाखा, उपशाखा, विभागीय शाखा

निर्वाचन अधिकारी,
अखिल रा.ज. राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ,
विभागीय समन्वय समिति, उपशाखा,
शाखा, जिला शाखा, प्रदेश महासंघ

महोदय,

मैं ------------------पद --------------एसोसियेशन का नाम
-----------------------मतदाता संख्या ------------------
एतद्द्वारा श्री ------------------पद --------------एसोसियेशन
का नाम ------------------को विभागीय समन्वय समिति/उपशाखा/
शाखा/जिला अध्यक्ष/प्रान्तीय अध्यक्ष, पद के लिये प्रस्तावित करता हूँ ।

नाम प्रस्तावक ---------------
हस्ताक्षर प्रस्तावक -----------
मतदाता सूची क्रमांक ---------

मैं उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ ।

नाम समर्थक ---------------
हस्ताक्षर समर्थक -----------
मतदाता सूची क्रमांक : ------

मुझे उपरोक्त प्रस्ताव स्वीकार है ।

नाम प्रत्याशी ---------------
हस्ताक्षर प्रत्याशी -----------
मतदाता सूची क्रमांक : -----------

मैं यह घोषणा करता हूँ कि महासंघ की किसी प्रकार की कोई राशि मुझ में बकाया नहीं है ।

हस्ताक्षर प्रत्याशी

नामांकन-पत्र स्वीकृत किया जाता है । निम्न कारणों से अस्वीकृत किया जाता है ।

हस्ताक्षर निर्वाचन अधिकारी